

Ravi
2/5/15

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक - राजदण्ड/सामान्य/प-121/2015/
दिनांक :

-: आदेश :-

निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर द्वारा आयोजित दिनांक 04.05.15 से 02.06.15 तक Foundation Course हेतु निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को मनोनीत किया जाता है :-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	पद	पदस्थापन स्थान
1.	डा० गजेन्द्र सिंह	चि०अ०	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उथारडा, उदयपुर।
2.	डा० रामनिवास मीणा	चि०अ०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नदबई, भरतपुर।
3.	डा० महीपाल परमार	चि०अ०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेड़ा, पाली।
4.	डा० बालु दास नाहर	चि०अ०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खरची, पाली।
5.	बलवीर चौधरी	चि०अ०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आसोप, जोधपुर।
6.	डा० तनुजा मित्तल	चि०अ०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नई, उदयपुर।
7.	डा० सपना सिहाग	चि०अ०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कवास, बाड़मेर।
8.	डा० रविन्द्र सिंह चौहान	चि०अ०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामसर, बाड़मेर।
9.	डा० गौरी चौधरी	चि०अ०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हादेचा, जालौर।
10.	डा० अमित दादीच	चि०अ०	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जोजावर, पाली।
11.	डा० बलवीर सिंह	चि०अ०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जाजोद, सीकर।
12.	डा० नीलेश कुमार जांगिड	चि०अ०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धोद, सीकर।
13.	डा० राकेश कुमार जांगिड	चि०अ०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुदान, सीकर।
14.	डा० अखिलेश स्वामी	चि०अ०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरड़ोद, अलवर।
15.	डा० दिव्या जैन	चि०अ०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीवाड़ी, अलवर।
16.	डा० प्रेम चंद मालाकार	चि०अ०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगवाना, अजमेर।
17.	डा० सतिश सक्सेना	चि०अ०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मांडलगढ़, भीलवाड़ा।
18.	डा० गुमान सिंह	चि०अ०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पर्वतसर, नागौर।
19.	डा० रश्मि जैन	चि०अ०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलिगढ़, टोंक,
20.	डा० रेनु बजाज	चि०अ०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देशनोक, बीकानेर।
21.	डा० विनोद कुमार गुप्ता	चि०अ०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरदारसर, चूरु।
22.	डा० महेश कुमार मिघा	चि०अ०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गजसिंहपुर, गंगानगर।
23.	डा० ललित कुमार राठौड़	चि०अ०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नोहर, हनुमानगढ़।
24.	डा० संध्या मेहरा	चि०अ०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरनावदासाजी, बारां।
25.	डा० मनीषा जैन	चि०अ०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केशोराइपटन, बून्दी।

उक्त सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कोर्स में भाग लेने हेतु दिनांक 04.05.15 को प्रातःकाल 09:30 बजे निर्धारित स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवायें अन्यथा श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय के पत्र क्रमांक प.6(6)ट्रेनिंग (पीएल-2)/आर.एच.एस.डी.पी./07/4405 दिनांक 14.06.07 के अनुसार अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण राशि इनके वेतन से वसूल की जावेगी एवं सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी प्रस्तावित की जावेगी, जिसकी समस्त ज़िम्मेदारी स्वयं की होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त मनोनीत प्रशिक्षणार्थियों को विशेष कठिन परिस्थिति होने पर उनके स्थान पर अन्य उस चिकित्सक को मनोनीत करेंगे जिसने पूर्व में यह प्रशिक्षण नहीं लिया हो साथ ही प्रशिक्षण में जाने वाले चिकित्सकों को यह भी निर्देशित करावे कि प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षणार्थी हेतु ही आवास व्यवस्था की गई है। इसलिए अन्य (पारिवारिक सदस्य/मित्र) किसी को भी वहां ठहरने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

नोट : यात्रा भत्ता टैक्सी/स्वयं की कार इत्यादि का यात्रा भत्ता देय नहीं है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- राजपत्रित/सामान्य/प-121/2015/274

दिनांक : 24/4/15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. मिशन निदेशक, एनआरएच.एम. मुख्यालय जयपुर।
3. निदेशक (RCH), मुख्यालय जयपुर।
4. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर को उनके पत्रांक 661-664 दिनांक 21.04.14 के क्रम में भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की सूचना एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूचना भिजवावे, ताकि उन विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकें।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर/बीकानेर/कोटा/भरतपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर।
6. संबंधित नियंत्रण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सकों को प्रशिक्षण में दिनांक 04.05.15 को प्रातः 09:30 बजे प्रशिक्षण स्थान पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुए कार्यमुक्त करें।
7. संबंधित चिकित्सक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावे।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

addaldirgaz@gmail.com

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

F 7(6)(6)/SIHFW/ Foundation course

राजस्थान जयपुर।

2015.14/269 D6. 24.4.2015

मनोनीत चिकित्सा अधिकारी ने पूर्व में Foundation Course प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो तो उसे कार्यमुक्त न करते हुए अन्य चिकित्सा अधिकारी को मनोनीत करें जिसकी सेवा अवधि तीन वर्ष से कम हो।

डा०एम.एल.जैन

24/4/15

निदेशक-राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर।